



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.2/सहा.अभि./रि.प.भ./पार्ट/17/ ३५२।

जयपुर, दिनांक :— २६.७.१८

आदेश

श्री भरत खंगार, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, छोपाबडौद (बारा) का स्थानान्तरण/पदस्थापन पंचायत समिति, छबडा (बारा) में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

श्री खंगार, कनिष्ठ अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल स्थानान्तरित/पदस्थापित पंचायत समिति में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना विकास अधिकारी के माध्यम से विभाग को भिजवायेंगे। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योग काल देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग।
2. संयुक्त सचिव (एलटी) माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी अ.शा. टीप क्रमांक मु.मं.—संस(एलटी)/प-2/ग्राविवि/बारा/18/35666 दिनांक 4.7.18 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय को उनके कार्यालय डायरी क्रमांक 221621 दिनांक 5.7.18 के संदर्भ में।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. जिला कलैक्टर, बारा।
7. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारा।

8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छीपाबडौद (बारा) / छबडा (बारा) ।
9. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
10. श्री भरत खंगार, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, छीपाबडौद (बारा) को
पालनार्थ ।
11. गार्ड फाईल ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

A.C.P.T.

(७३)